

## असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 262] No. 262] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/वैशाख 4, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/VAISAKHA 4, 1940

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.िन. 390(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऑक्सीटोसीन ओषधि का किसी नाम या रीित में प्रयोग और उसकी विनिर्मित, जिससे मानव और जन्तुओं को विशेष जोखिम अन्तर्विलित होने की संभावना हो, और लोक हित में उक्त ओषधियों के आयात को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के निचे दी गई सारणी में , क्रम संख्यांक ११ और उससे सम्बन्धित प्रविष्ट के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"१२. किसी भी नाम या रीति में ऑक्सीटोसीन और उसकी विनिर्मित ।"।

[फा.सं. एक्स.11014/2/2018-डीआर]

सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण**: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.िन. सं. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम बार सा.का.िन. सं. 433(अ), तारीख 7 जून, 2012 द्वारा संशोधित किया गया।

2363 GI/2018 (1)

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health and Family Welfare)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2018

**G.S.R.** 390(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drug Oxytocin and its formulation in any name or manner is likely to involve certain risk to human beings and animals and that it is necessary and expedient to prohibit the import of the said drugs in the public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 577(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1983, namely:—

In the table below to the said notification, after serial number 11 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

"12. Oxytocin and its formulation in any name or manner.".

[F. No. X.11014/2/2018-DR]

SUDHIR KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 577(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1983 and last amended by G.S.R. 433(E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2012.